कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 101/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 14.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न **कार्यवाहियां की गयी।**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2026

थाना सिधारी, जनपद- आजमगढ़

03.12 किलोग्राम अवैध गांजा (*कीमत* करीब 1,10000/- रु0) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी एवं उसमें संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.03.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह द्वारा **मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों** 1.जगनन्दन पुत्र रामनरेश सा0 मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 75 वर्ष, 2. शिवपाल सिंह पुत्र मकरन्दा सिंह रामनरेश सा0 मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को बेलइसा पुल के नीचे से समय करीब 00.50 बजे गिरफ्तार किया गया **जिनके पास से 03.120 किलोग्राम गांजा, 750 रुपये बरामद हुए** जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-79/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0- 79/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़ ।

नाम पता अभियुक्त-

1.जगनन्दन पुत्र रामनरेश सा0 मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 75 वर्ष।

2. शिवपाल सिंह पुत्र मकरन्दा सिंह रामनरेश सा0 मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी-

03.120 किलोग्राम गांजा, 750 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

2. हे0का0 मनोज कुमार यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

3. का0 आदित्य कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

4.का0 चन्द्रेश कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

5. का0 अतुल कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

6. का0 अंकित सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

प्रेस- नोट
थाना- कोतवाली
अन्तर्राज्यीय गिरोह का सदस्य अवैध तमन्चा कारतूस के साथ गिरफ्तार 5500/- रू बरामद

विभिन्न जनपदों में धोखा-धडी व ट्प्पेबाजी की घटनाएं कर चूका है कारित

पूर्व की घटना– वादिनी मुकदमा आशा पत्नी रामप्रवेश निवासी ग्राम छतौरा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ हाल पता काली चौरा थाना कोतवाली आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 07.02.2026 को वादिनी अपने घर चिरैयाकोट से आजमगढ आ रही थी कि शंकर तिराहा सिधारी पर उतरकर पैदल चलकर काली चौरा के लिए आ रही थी कि रास्ते में दो अज्ञात व्यक्तियो ने मुझसे परिवार व बेटे पर ग्रह दशा ठीक करने की बात कहकर बातो मे उलझा कर वादिनी की चैन , अंगूठी व 02 हजार रुपये लेकर चले गये । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 41/2026 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 13.03.2026 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज मय हमराह, उ0नि0 प्रियंका तिवारी चौकी प्रभारी एलवल मय हमराह, उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा मय हमराह, उ0नि0 अमित त्रिपाठी मय हमराह, हे0कां0 उमेश यादव (सर्विलांस सेल) द्वारा सर्विलांस सेल व मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लईक उर्फ लकी पुत्र तौफिक तौफिक निवासी ग्राम ठंडानाला गुलरभोज थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र 22 वर्ष को बंधा रोड ठन्डी सड़क से समय करीब 23.10 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 5500 रू. 01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 105/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर इस प्रकार की घटनाएं कई जनपदों में कारित कर चूका है।

अभियुक्त का विवरणः- लईक उर्फ लकी पुत्र तौफिक निवासी ग्राम ठंडानाला गुलरभोज थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः- 5500 रू. 01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0- 105/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1	27/26	318(4),319(2) बीएनएस	रानी की सराय	आजमगढ़
2	41/26	318 (4)/317 (2)/317 (4) बीएनएस	कोतवाली	आजमगढ़
3	122/25	304(2), 317(2) बीएनएस	अनपरा	सोनभद्र
4	105/26	3/ 25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज, उ0नि0 प्रियंका तिवारी चौकी प्रभारी एलवल, उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा, कां0 शिव कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़।

2- हे0कां0 उमेश यादव, सर्विलांस सेल जनपद आजमगढ़।

प्रेस- नोट

थाना- थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ

थाना कप्तानांगज क्षेत्रान्तर्गत चोरी की कई घटनाएं कारित करने वाले गिरोह के 02 सदस्य पुलिस हिरासत में चोरी का सामान 03 टुल्लू मोटर , 01 ट्रैक्टर की बैटरी , 01 साउण्ड बाक्स, व 360 रूपये नगद बरामद

घटना का विवरण-

➡ दिनांक 13.03.2026 को वादी मुकदमा हरेन्द्र मौर्य s/o स्व लालचन्द मौर्य ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना दिया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादी के ट्रैक्टर से बैटरी चोरी कर लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 71/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 13.03.2026 को वादी मुकदमा सुमित कुमार s/o स्व रविभूषण ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादी के घर से मोटर व साउण्ड चोरी कर लिये है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 72/2026 धारा 305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 13.03.2026 को वादी मुकदमा रमेश राय s/o रामेश्वर राय ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0 पत्र दिया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादी के घर से मोटर चोरी कर लिया है जिसके सम्बन्ध में स्थानीय पर मु0अ0सं0- 74/2026 धारा 305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

दिनांक 13.03.2026 को वादी मुकदमा सुरेन्द्र प्रजापति s/o विध्यांचल प्रजापति ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादी के घर से मोटर चोरी कर लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 75/2026 धारा 305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ उपरोक्त मुकदमों की विवेचना के दौरान म0उ0नि0 सानिया गुप्ता द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों 1. मोनू गौड़ पुत्र हीरालाल गौड़ निवासी ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष व 01 बाल अपचारी का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण- आज दिनांक 14.03.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में म0उ0नि0 सानिया गुप्ता व उ0नि0 राम निहाल वर्मा मय हमराह द्वारा उपरोक्त मुकदमों में प्रकाश में आये अभियुक्तों 1. मोनू गौड़ पुत्र हीरालाल गौड़ निवासी ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष व बाल अपचारी को ओरा गेट के पास से समय करीब 02.35 बजे हिरासत में लिया गया जिनके पास से 03 टुल्लू मोटर , 01 ट्रैक्टर की बैटरी , 01 साउण्ड बाक्स, व 360 रूपये बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास/ सम्बन्धित मुकदमा- 1. मु0 अ0 स0 71/26 धारा 303(2) ,317(2) बीएनएस

1. मु0 अ0 स0 72 /26 धारा 305(a) ,317(2) बीएनएस
2. मु0 अ0 स0 74 /26 धारा 305(a) ,317(2) बीएनएस
3. मु0 अ0 स0 75 /26 धारा 305(a) ,317(2) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त / बालअपचारी- मोनू गौड़ पुत्र हीरालाल गौड़ निवासी ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष व 01 बाल अपचारी

बरामदगी- 03 टुल्लू मोटर , 01 ट्रैक्टर की बैटरी , 01 साउण्ड बाक्स, व 360 रूपये नगद

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1- म0 उ0 नि0 सानिया गुप्ता थाना कप्तानगंज आजमगढ़

2- उ0 नि0 राम निहाल वर्मा मय हमराह थाना कप्तानगंज आजमगढ़

प्रेस-नोट दिनांक 14.03.2026

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायपालिका व पुलिस विभाग के समन्वय से मिशन शक्ति 5.0 के तहत 21 दम्पत्ति जोडों का हुआ पुनर्मिलन

➡ न्यायिक प्रक्रिया को मानवीय संवेदना से जोड़ते हुए मिशन शक्ति 5.0 के तहत आज दिनांक 14 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 21 जोड़ों ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक विवादों का समाधान कर पुनः साथ जीवन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुवन कुमार सिंह के समन्वय से 21 दम्पत्ति जोडों को फुल-माला व उपहार देकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा किया गया, इस सकारात्मक पहल से परिवारों में पुनः खुशियाँ लौट आईं।

➡ इस संपूर्ण प्रक्रिया में मा0 प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय श्री एहसानउल्ला खान, अपर प्रधान पारिवारीक न्यायाधीश श्रीमति संदिपा यादव, अपर प्रधान पारिवारीक न्यायाधीश श्री प्रेम शंकर, अपर जनपद न्यायाधीश नोडल अधिकारी लोक अदालत श्री संतोष यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमति निकिता राजन, चौकी प्रभारी एलवल प्रियंका तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़, परामर्शदाता 1-श्री कुलदीप कुमार सिंह, 2- श्रवण कुमार गुप्ता, 3- विनय कुमार तिवारी व पुलिस प्रशासन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा। मा0 न्यायालय व पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर, विश्वास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता कराने हेतु निरंतर प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 21बिखरते परिवार पुनः एकजुट हो गये।

➡ राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित एवं शांतिपूर्ण समाधान न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि इससे संबंधित पक्षों को मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक राहत भी प्राप्त हुई।

➡ कार्यक्रम के सफल आयोजन में न्यायिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन एवं अधिवक्तागण व संबंधित विभागों के समन्वय ने यह सिद्ध किया कि संवेदनशीलता, संवाद और सहयोग से पारिवारिक विवादों का स्थायी समाधान संभव है।

➡ मिशन शक्ति 5.0 के तहत चलाया गया यह पहल समाज के लिए एक प्रेरणादायक है तथा पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के सहयोग से मा0 न्यायालय से ही 21 दम्पत्ति जोडों को फुल-माला व उपहार देकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा किया गया । मंन्त्रोच्चारण के बीच माला पहनाकर दम्पत्तियों ने मा0 न्यायालय व पुलिस प्रशासन को कोटी कोटी धन्यवाद दिया।

➡ मा0 न्यायालय के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश श्री एहसानउल्ला खान महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा कि 21 दम्पत्तियों को जो कई वर्षों से अलग रह रहे थे आज उनका पुनर्मिलन देखकर काफी हर्ष हो रहा है। उपस्थित दम्पत्तियों को सम्बोधित करते हुए मा0 न्यायाधीश ने कहा कि विवाद हर परिवार में होता है। सभी को आपसी समझ व बुद्धिमानी से विवाद का सामाधान घर परिवार में ही कर लेना चाहिए। मा0 न्यायाधिश महोदय ने भविष्य के लिए सभी दम्पत्तियों को शुभकामना देते हुए विदा किया।

प्रेस नोट

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को 84,460/- रुपये वापस कराए गए

घटना का विवरण :
आवेदक श्री ऋषभ रंजन चतुर्वेदी पुत्र प्रदीप, निवासी शंकर जी मूर्ति तिराहा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ के साथ क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक ऑफर देने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को बैंक कर्मचारी बताकर फोन किया गया। कॉल करने वाले ने आवेदक को विश्वास में लेकर उनसे ओटीपी प्राप्त कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक के क्रेडिट कार्ड से कुल 84,460/- रुपये कट गए।

पैसे कटने की जानकारी होने पर आवेदक को साइबर अपराध का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल साइबर शिकायत संख्या 33103260049148 दर्ज कराई। यह शिकायत थाना सिधारी पर प्राप्त हुई, जिस पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहायता प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई की गई।

पुलिस टीम की प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप 84,460/- रुपये की धनराशि नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।

□♂□ जनता से अपील :
किसी भी अज्ञात व्यक्ति को फोन पर अपनी निजी जानकारी, बैंक विवरण या ओटीपी साझा न करें। यदि किसी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, वेबसाइट www.cybercrime.gov.in या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर बने साइबर हेल्प डेस्क पर संपर्क करें।

पुलिस टीम :

1. उ0नि0 विधनेश वर्मा
2. उ0नि0 नीतिश सिंह

साइबर टीम, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़